

# सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया Central Bank of India

1911 से आपके लिए ''केंद्रित'' "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

# असाधारण सामान्य बैठक की सूचना गुरुवार, दिनांक 28 फरवरी 2019 मुंबई

NOTICE FOR EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING THURSDAY, FEBRUARY 28, 2019, MUMBAI

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

प्रधान कार्यालयः चन्दरमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021.



#### **CENTRAL BANK OF INDIA**

Head Office : Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai - 400 021

## विषय-सूची / CONTENTS

विषय सूची	पृष्ठ सं.
CONTENTS	PAGE NO
सूचना	
Notice	1
नोट	
Notes	7
व्याख्यात्मक विवरण	
Explanatory Statement	15
प्रॉक्सी फॉर्म	
Proxy Form	27
उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश-पास	
Attendance Slip-cum-Entry Pass	31



## सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

प्रधान कार्यालय: चन्दरमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021

## सूचना

एतदद्वारा यह सूचित किया जाता है कि सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक गुरुवार, दिनांक 28 फरवरी, 2019 को प्रात: 11.00 बजे चंदरमुखी नरीमन पॉइन्ट, मुम्बई - 400021 पर स्थित बैंक के प्रधान कार्यालय के 9वें माले पर निम्नलिखित कारोबार के संपादन हेतु आयोजित की जाएगी :

## एजेंडा संख्या 1 - अधिमानी निर्गम :

निम्नलिखित पर विचार करना और उपयुक्त समझे जाने पर संशोधन या संशोधन के बिना इसे विशेष संकल्प के रूप में पारित करना :-

"प्रस्ताव है कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (जिसे इसमें इसके पश्चात "अधिनियम" कहा जाएगा), सहपठित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 (जिसे इसमें इसके पश्चात "योजना" कहा जाएगा) एवं सेन्टल बैंक ऑफ इंडिया (शेयर्स एवं मीटिंग्स) विनियम, 1998 (जिसे इसमें इसके पश्चात "विनियम" कहा जाएगा) एवं भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड और/अथवा इस संबंध में आवश्यक अन्य प्राधिकारी के अनुमोदनों, सहमतियों, स्वीकृतियों, यदि कोई हों की शर्त पर एवं उक्त अनुमतियां प्रदान करते हुए उनके द्वारा निर्धारित शर्तों एवं संशोधनों, जिनसे बैंक के निदेशक मंडल द्वारा सहमित व्यक्त की गई, की शर्त पर और सेबी (पूंजी एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं के मामले) अधिनियम, 2009 (सेबी आईसीडीआर विनियम) सेबी (सचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2015 (सूचीकरण विनियमन) एवं भारतीय रिजर्व बैंक एवं अन्य संबद्ध प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर निर्धारित विनियमों की शर्तों के अधीन एवं उन स्टॉक एक्सचेंजों जिनमें बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, के साथ हुए सूचीकरण करार की शर्त पर बैंक के शेयरधारकों की सहमति है, जिसे बैंक के निदेशक मंडल (जिसे इसमें इसके पश्चात "बोर्ड" कहा जाएगा) जिसमें पुंजी जुटानेवाली सिमिति भी शामिल है, जिसे बोर्ड द्वारा इस प्रस्ताव में निहित शक्ति सहित बोर्ड की शक्तियों के उपयोग के लिए गठित किया गया है/ अथवा पुनर्गठित किया जाना है, को एतदद्वारा, इस प्रस्ताव द्वारा रु. 10/- अंकित मूल्य के कुल 38,74,39,390 ईक्विटी शेयर भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) को अधिमानी आधार पर, सेबी आईसीडीआर विनियमों के विनियम 164(1) के अनुरूप बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रति इक्विटी रु. 33.31 के प्रीमियम सिहत प्रति इक्विटी शेयर रु. 43.31 के संपरिवर्तन/निर्गम मुल्य के नकद के लिए, कुल 1678.00 करोड़ (रु. एक हजार छ: सौ अठहत्तर करोड मात्र) को निर्मित,प्रस्तावित, जारी एवं आबंटित करने की शक्तियां प्राप्त है."

"आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि संपरिवर्तन मूल्य के निर्धारण के लिए "संगत तारीख" 29-01-2019 है."

"आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि निर्गम के लिए अनुमोदन, सहमित, अनुमित एवं स्वीकृति प्रदान करते समय एवं आबंटन, लिस्टिंग करते समय बोर्ड को यह अधिकार व शिक्त प्राप्त होगी कि भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक/सेबी/ वे स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या ऐसे ही अन्य उचित प्राधिकारियों द्वारा प्रस्ताव में चाहे गए या दिए गए संशोधनों, जिनसे बोर्ड सहमत हो, को स्वीकार किया जाए. "



### **CENTRAL BANK OF INDIA**

Head Office: Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai - 400 021

#### NOTICE

**NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT** an Extra-ordinary General Meeting of the shareholders of Central Bank of India will be held on Thursday, 28<sup>th</sup> February, 2019 at 11.00 A.M. on 9<sup>th</sup> Floor at the head office of the Bank situated at Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai - 400 021 to transact the following business:

#### Agenda No. 1 - Preferential Issue :

To consider and if thought fit, to pass with or without modification the following as a Special Resolution : -

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as the 'Act') read with The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as the 'Scheme') and Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998 (hereinafter referred to as the 'Regulations') and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Government of India (Gol), Reserve Bank of India (RBI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), and/or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 (SEBI ICDR Regulations), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations) and regulations prescribed by RBI and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into, with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "Board") which term shall be deemed to include Capital Raising Committee which the Board have constituted or/may re-constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution to create, offer, issue and allot upto 38,74,39,390 Equity Shares of the face value of Rs.10/- each to President of India (Government of India) on preferential basis, for cash at an issue price of Rs. 43.31 per Equity Share including premium of Rs. 33.31 per equity share determined by the Board in accordance with Regulation 164 (1) of SEBI ICDR Regulations aggregating upto Rs. 1678.00 crore (Rupees One Thousand Six Hundred and Seventy Eight Crore only)."

"RESOLVED FURTHER THAT the 'Relevant Date' for determination of the Issue Price is 29-01-2019."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the Gol/RBI/SEBI/Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according/granting their approvals, consents, permissions and sanctions for the issue, allotment and listing thereof and as agreed to, by the Board."

"आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि इस प्रस्ताव के अनुसरण में अधिमान आधार पर जारी एवं आबंटित किए जाने वाले कथित इक्विटी शेयर डीमेट स्वरुप में जारी किए जाएंगे तथा वे सेबी आईसीडीआर विनियम के अध्याय VII के अंतर्गत आवश्यक लॉक-इन-अविध के अधीन होंगे एवं सभी पहलुओं में बैंक के वर्तमान इक्विटी शेयरों के समरूप रैंक किए जाएंगे तथा लाभांश, यदि कोई है, की घोषणा करने के समय लागू सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुसार लाभांश प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे."

"आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि इस प्रस्ताव को प्रभावी करने के लिए बोर्ड को उन सभी कार्यों, विलेखों, मामलों के लिए प्राधिकृत किया जाता है, जिन्हें बोर्ड के पूर्ण विवेकाधिकार में आवश्यक, उचित एवं वांछनीय समझा जाता हो और इक्विटी शेयर के निर्गम से संबंधित उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न, किठनाई या संदेह के निपटान हेतु प्राधिकृत किया जाता है तथा आगे इसके पूर्ण विवेकाधिकारों में सही, उचित एवं वांछित समझे जाने वाले उन सभी कार्यों, विलेखों, मामलों, विषयों को करने, सभी दस्तावेजों, लेखनों को निष्पादित करने, जो आवश्यक वांछित व इष्टकर हो, को शेयरधारकों द्वारा इस प्रस्ताव से प्रदत्त अधिकारों से स्पष्टतः उनका अनुमोदन, अंतिम अधिकार व संकल्प मानते हुए उनकी आगे और किसी सहमित, अनुमोदन के बिना, करने हेतु बोर्ड को प्राधिकृत किया जाता है."

"आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रस्ताव को प्रभावकारी बनाने के लिए बैंक के निदेशक मंडल को अपनी सभी या किसी भी शक्ति को बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा कार्यपालक निदेशक(कों) अथवा ऐसे किसी उपयुक्त अधिकारी(यों) को, जो वह उचित समझे, प्रत्यायोजित करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है."

## कार्यसूची क्रमांक 2 - बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों तथा कर्मचारियों को अंश जारी करना :

विचार करने के लिए तथा उपयुक्त होने पर निम्न में आशोधन किए जाने अथवा नही किए जाने पर विशेष संकल्प द्वारा पारित करना: -

"**यह संकल्प लिया जाता है** कि, बैंकिंग कंपनियों का(उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 ("अधिनियम"), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970("स्कीम") और सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शेयर और मीटिंग) विनियम,1998 ("विनियम"), के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए तथा समय-समय पर संशोधित और भारतीय रिजर्व बैंक ("RBI"), भारत सरकार ("GOI"), प्रतिभृति और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ("सेबी"), स्टॉक एक्सचेंज (बैंक) जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, की स्वीकृति, सहमति, अनुमति और प्रतिबंध, यदि कोई हो, हैं, जहां भी लागु हो और/या किसी अन्य प्राधिकरण के रूप में हो सकता है जो इस संबंध में आवश्यक हो और ऐसे नियमों, शर्तों और के अधीन हो, ऐसे अनुदान के रूप में संशोधन/ अनुमोदन उनके द्वारा निर्धारित किया जा सकता है और जिसकी सहमित बैंक के निदेशक मंडल द्वारा प्राप्त हो गई हो, और जो सेबी के प्रावधानों के अधीन (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 हो, आज तक संशोधित (बाद में SBEB के रूप में संदर्भित विनियम), दिशानिर्देश, यदि कोई हो, भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी और अन्य सभी संबंधित प्राधिकारियो, सूचनाओं / परिपत्रों और स्पष्टीकरणों के तहत बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और अन्य सभी लागु कानुन समय-समय पर और सेबी के प्रावधानों के अधीन (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 (सेबी (एलओडीआर) के रूप में तिथि तक संशोधित, बैंक के साथ सूचीबद्ध करार सूची स्टॉक एक्सचेंज अर्थात् बीएसई लिमिटेड (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड (NSE) और किसी भी लागू अनुमोदन के अधीन है, अनुमित(ओं) और अनुमोदन(ओं), को किसी भी स्तर पर, किसी भी प्राधिकरण और विषय की किसी भी शर्त (ओं) और संशोधन (ओं) के रूप में निर्धारित या लगाया जा सकता है, इस तरह के अनुमोदन (ओं) को अनुमति देते समय ऐसे अधिकारियों द्वारा, अनुमित (ओं) और मंजूरी (ओं) और जिसे बोर्ड द्वारा स्वीकार और स्वीकार किया जा सकता है तथा जो बैंक के निदेशक, बैंक के शेयरधारकों की सहमति और इसके बाद बैंक के निदेशक मंडल (इसके बाद) के अनुरूप है जिसे "बोर्ड" के रूप में जाना जाता है और जिसे क्षतिपर्ति समिति में शामिल करने के लिए समझा जाएगा. ऐसी समिति जिसे बोर्ड ने गठित किया हो सकता है या वह गठित कर सकता है जो इस संकल्प द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित अपनी शक्तियों का प्रयोग कर, तैयार कर,

"RESOLVED FURTHER THAT the said equity shares to be issued and allotted on preferential basis in pursuance of this Resolution shall be issued in dematerialized form and shall be subject to lock-in requirements required under Chapter V of the SEBI ICDR Regulations and shall rank pari passu with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorised to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director and Chief Executive Officer or Executive Director(s) or such other officer(s) of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution."

#### Agenda No.2 - Issue of Shares to Employees and Whole Time Directors of the Bank:

To consider and if thought fit, to pass with or without modification the following as a Special Resolution : -

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 ("The Act"), The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 ("The Scheme") and Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998 ("The Regulations"), as amended from time to time and subject to the approvals, consents, permissions, and sanctions, if any, of the Reserve Bank of India ("RBI"), the Government of India ("GOI"), the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), Stock Exchange(s) in which Bank's equity shares are listed, wherever applicable and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the provisions of SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014, as amended up to date (hereinafter referred to as SBEB Regulations), guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI and all other relevant authorities, notifications/circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, Securities and Exchange Board of India Act, 1992, Foreign Exchange Management Act, 1999 and all other applicable laws from time to time and subject to the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (SEBI (LODR) as amended upto date, Listing Agreement entered into by the Bank with the Stock Exchanges namely, BSE Limited (BSE) and the National Stock Exchange of India Limited (NSE) and subject to any applicable approval (s), permission (s) and sanction (s), at any stage, of any authority and subject to any condition (s) and modification (s) as may be prescribed or imposed by such authorities while granting such approval (s), permission (s) and sanction (s) and which may be agreed to and accepted by the Board of Directors of the Bank, the consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter referred to as "the Board" which shall be deemed to include Compensation Committee which the Board may have constituted or / may constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this resolution) to create, grant, offer, issue and allot, in one or अनुदान, प्रस्ताव, जारी और आवंटित, एक या अधिक किश्तों में, जो कर्मचारियों के लिए हो, जिससे अभिव्यक्त है कि इसमें बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा कार्यपालक निदेशक (को) सिम्मिलित है (कर्मचारी), जैसा कि बोर्ड द्वारा तय किया जा सकता है, कुल मिलाकर 10,00,00,000 (दस करोड़) रु. 10 (रुपए केवल दस) के अंकित मूल्य के नए इक्विटी शेयर, सभी उद्देश्यों के लिए बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के साथ रैंकिंग पैरी पासु और एक कर्मचारी स्टॉक के तहत लाभांश के भुगतान सहित सभी तरह से खरीद योजना (इसके बाद "सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया - ईएसपीएस 2019" के रूप में संदर्भित की जाती है"), ऐसी कीमत या कीमतों पर, और ऐसे नियमों और शर्तों पर हो सकता है जिसे बोर्ड द्वारा अपने पूर्ण विवेक से इस तरह से निर्णय लिया जाए ताकि भारत सरकार की धारिता 52% से कम नहीं हो ।

"यह भी संकल्प लिया जाता है कि बैंक एसबीईबी के विनियमयों के विनियम 15 में विनिर्दिष्ट लेखा नियमों का अनुपालन करेगा.

"यह भी संकल्प लिया जाता है कि, स्टॉक एक्सचेंज में जहां पर सूचीबद्ध करार के साथ स्टॉक एक्सचेंज में अन्य लागू दिशा निर्देशों, नियमों एवं विनियमों के अंतर्गत, बैंक के शेयर्स सूचीबद्ध किए जाते हैं, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया -ईएसपीएस 2019 के अंतर्गत आबंटित एवं जारी इक्विटि शेयर्स के सूचीबद्धकरण हेतु बोर्ड आवश्यक कदम उठाने के लिए अधिकृत किया जाता है.

"यह भी संकल्प लिया जाता है कि बोर्ड ऐसे नियमों और शर्तों को लागू करने, तैयार करने, विकिसत करने, निर्णय लेने और बोर्ड द्वारा निश्चित किए गए नियम एवं शर्तों के अनुसार "सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया - ईएसपीएस 2019" को लागू करने के लिए किसी भी संशोधन (ओं), परिवर्तन (नों), विचलन (नों), विकल्प (नों) करने के लिए अधिकृत है. "सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया - ईएसपीएस 2019" के नियमों और शर्तों में, समय-समय पर, लेकिन संशोधन (एस) तक सीमित न होते हुए मूल्य, अविध, पात्रता मानदंड के संबंध में या "सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया - ईएसपीएस 2019" को निलंबित करने, हटाने, संशोधित करने या संशोधित करने के लिए, जैसा कि बोर्ड अपने विवेकाधिकार में निर्धारित कर सकता है और सभी प्रश्नों, किठिनाइयों या निपटान के लिए भी कर सकता है। "सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया - ईएसपीएस 2019" के कार्यान्वयन के संबंध में संदेह और प्रस्तावित "सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया - ईएसपीएस 2019" के लिए जाने वाले शेयरोंधारकों की बिना किसी अनुमित अथवा सहमित के यह मानकर कि प्राधकारियों के संकल्प पर उनकी स्वीकृति है. कर सकता है.

"यह भी संकल्प लिया जाता है कि बोर्ड को प्रदान की गयी सभी या किसी भी प्रकार की शकतियां एतद्द्वारा प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी या कार्यपालक निदेशक (एस) या इस तरह के किसी भी अधिकारी (ओं) को सौंपने के लिए अधिकृत है. जोिक यह माना जाता है कि एसबीईबी विनियमों और अन्य लागू कानूनों, दिशानिर्देशों, नियमों और विनियमों के अनुपालन में पूर्वोक्त संकल्पों को प्रभावी करने के लिए उपयुक्त है.

निदेशक मंडल के आदेश से कृते सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

स्थान : मुंबई

दिनांक : 31.01.2019

हस्त /(आनंद कुमार दास)
सहायक महाप्रबंधक-एमबीडी/
कंपनी सचिव

more tranches, to employees, which expression shall include the Managing Director & Chief Executive Officer and Executive Director (s) of the Bank ("The Employees"), as may be decided by the Board, aggregating up to 10,00,00,000 (Ten Crore) new equity shares of face value of Rs.10 (Rupees Ten only) each, ranking *pari passu* with the existing equity shares of the Bank for all purposes and in all respects, including payment of dividend, under an Employee Stock Purchase Scheme (hereinafter referred to as "Central Bank of India - ESPS 2019"), at such price or prices, and on such terms and conditions as may be decided by the Board in its absolute discretion in such a way that Government of India holding does not come below 52 %."

"RESOLVED FURTHER THAT the Bank shall conform to the accounting policies as specified in Regulation 15 of the SBEB Regulations.

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to take necessary steps for listing of the equity shares issued and allotted under the "Central Bank of India - ESPS 2019", on the stock exchanges where the shares of the Bank are listed, as per the terms and conditions of the listing agreements entered into with the stock exchanges and other applicable guidelines, rules and regulations."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to implement, formulate, evolve, decide upon and bring into effect the "Central Bank of India - ESPS 2019" on such terms and conditions as may be decided by the Board and to make any modification(s), change(s), variation(s), alteration(s) or revision(s) in the terms and conditions of the "Central Bank of India - ESPS 2019", from time to time, including but not limited to, amendment(s) with respect to price, period, eligibility criteria or to suspend, withdraw, terminate or revise the "Central Bank of India - ESPS 2019" in such manner as the Board may determine in its sole discretion and also to settle all questions, difficulties or doubts that may arise in relation to the implementation of the "Central Bank of India - ESPS 2019" and to the shares to be issued pursuant to the proposed "Central Bank of India - ESPS 2019" without being required to seek any further consent or approval of the Shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by authority of this resolution."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director & Chief Executive Officer or Executive Director (s) or such other officer (s) of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolutions in compliance with the SBEB Regulations and other applicable laws, guidelines, rules and regulations."

BY ORDER OF THE BOARD OF DIRECTORS
For CENTRAL BANK OF INDIA

Place: Mumbai Date: 31.01.2019 Sd/(ANAND KUMAR DAS)
Assistant General Manager-MBD/
Company Secretary

### नोट:

### 1. व्याख्यात्मक विवरण

बैठक की कार्यसूची के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों को निर्दिष्ट करने वाला व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है.

## 2. प्रॉक्सी की नियुक्ति :

बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने के पात्र शेयरधारक, अपने बदले बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने हेतु किसी प्रॉक्सी को नियुक्त कर सकते हैं और ऐसे नियुक्त प्रॉक्सी का बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है. प्रॉक्सी को नियुक्त करने संबंधी लिखत, चन्दरमुखी, नरीमन पॉइंट मुंबई 400021 स्थित प्रधान कार्यालय में बैठक की नियत तारीख से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात शुक्रवार, दिनांक 22 फरवरी, 2019 को सायं 5.00 बजे या इसके पूर्व जमा किया जाना चाहिए क्योंकि इसके पश्चात का कार्य दिवस शनिवार, 23 फरवरी, 2019 है, जो बैंक अवकाश दिवस है एवं ईजीएम से 4 दिन पूर्व है.

## 3. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति :

बैंक के शेयरधारक किसी कंपनी अथवा निगमित निकाय के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की बैठक में उपस्थित होने अथवा मतदान करने हेतु तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक कि उस बैठक, जिसमें उसे विधिवत रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त किया गया हो, के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित संकल्प की प्रति चन्दरमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई, 400021 में स्थित बैंक के प्रधान कार्यालय में बैठक की नियत तारीख से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात शुक्रवार, दिनांक 22 फरवरी, 2019 को सायं 5.00 बजे या इसके पूर्व जमा किया जाना चाहिए क्योंकि इसके पश्चात का कार्य दिवस शनिवार, 23 फरवरी, 2019 है, जो बैंक अवकाश दिवस है एवं ईजीएम से 4 दिन पूर्व है.

4. बैंक के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को किसी शेयरधारक का प्रॉक्सी या प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किया जाएगा.

### 5. उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास:

शेयरधारकों की सुविधा के लिए, इस सूचना के साथ उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास संलग्न किया गया है. शेयरधारकों/ प्रॉक्सी धारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि इसमें उपलब्ध कराए गए स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें और बैठक स्थल पर इसे सौंप दें. शेयरधारकों के प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधियों को उपस्थिति पर्ची-सह प्रवेश पास में "प्रॉक्सी" अथवा "प्राधिकृत प्रतिनिधि", जैसा भी मामला हो, का उल्लेख करना चाहिए तथा उन्हें, शेयरधारक से अपने हस्ताक्षर सत्यापित कराकर अपनी पहचान का साक्ष्य साथ में रखना चाहिए.

### 6. मतदान का अधिकार

इस अधिनियम की धारा 3(2ई) के उपबंधों के अनुसार, बैंक का केन्द्र सरकार से भिन्न कोई भी शेयरधारक, अपने द्वारा धारित शेयरों के सम्बंध में, बैंक के शेयरधारकों के कुल मताधिकार का दस प्रतिशत से अधिक, उसके द्वारा धारित किसी भी शेयर के सम्बंध में मतदान-अधिकार का प्रयोग करने का हक़दार नहीं होगा.

उपर्युक्त के अधीन, विनियमन 68 के अनुसार, प्रत्येक शेयरधारक, जो शेयरधारक के रूप में पंजीकृत है, अपना हाथ दर्शाकर एक मत दे सकेगा और मतदान की स्थिति में उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए उसे एक वोट देने का अधिकार होगा.

#### NOTES:

#### 1. EXPLANATORY STATEMENT

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto.

#### 2. APPOINTMENT OF PROXY:

A SHAREHOLDER ELIGIBLE TO ATTEND AND VOTE, IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF / HERSELF AND SUCH PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.

The instrument appointing proxy should, however be deposited at the Head Office of the Bank situated at Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai- 400021 not less than four days before the date fixed for the meeting i.e. on or before 5.00 PM on Friday, 22nd February, 2019 being the immediate preceding working day to Saturday, 23rd February, 2019 which is Bank holiday and is 4 days prior to the EGM.

#### 3. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE:

No person shall be entitled to attend or vote at any meeting of the shareholders of Central Bank of India as the duly authorized representative of a company or any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be a true copy by the chairman of the meeting at which it was passed, has been deposited at the Head Office of the Bank situated at Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai- 400021 not less than four days before the date fixed for the meeting i.e. on or before 5.00 PM on Friday, 22nd February, 2019 being the immediate preceding working day to Saturday, 23rd February, 2019 which is Bank holiday and is 4 days prior to the EGM.

## 4. No officer or employee of the Bank shall be appointed as Authorised Representative or proxy of a shareholder.

#### 5. ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS:

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-Cum-Entry Pass is annexed to this notice. Shareholders/Proxy holders/Authorised Representatives are requested to affix their signature at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy holders/Authorised Representatives should state on the Attendance Slip-Cum-Entry pass as "Proxy" or "Authorised Representative" as the case may be and should have proof of their identity by getting their signature attested by the shareholder.

#### 6. VOTING RIGHTS

In terms of the provisions of Section 3(2E) of the Act, no shareholder of the Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

Subject to the above, as per Regulation 68, each shareholder who has been registered as a shareholder shall have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.

## 7. संयुक्त धारकों के अधिकारों का उपयोग

विनियमनों के विनियम 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो अथवा अधिक व्यक्तियों के नाम पर है, तो मतदान के मामले में रिजस्टर में उल्लिखित प्रथम नाम के व्यक्ति को एकमात्र धारक माना जाएगा. अतः यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम में हैं तो केवल प्रथम नामांकित व्यक्ति ही बैठक में भाग लेने एवं मत देने (हाथ दर्शाकर अथवा मतदान द्वारा) का हकदार होगा.

8. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बैठक में नोटिस की स्व प्रति अपने साथ लाएं.

### 9. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग

1. कंपनी नियम 2014 (प्रबंधन एवं प्रशासन) के अनुपालन एवं सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं) अधिनियम 2015 के विनियमन 44 के अनुपालन में अथवा इसमें किए गए संशोधनों के अनुसार बैंक वोटिंग के वैकल्पिक माध्यम के तौर पर रिमोट ई-वोटिंग सुविधा सहर्ष प्रस्तावित करता है ताकि सदस्यगण अपने वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से दे पाएं. कंपनी द्वारा सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि. के साथ रिमोट ई-वोटिंग को सुलभ बनाने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं कर ली गयी हैं.

रिमोट ई-वोटिंग संबंधी प्रक्रिया एवं अनुदेश निम्नानुसार हैं:

- (i) रिमोट ई- वोटिंग समयाविध सोमवार, दिनांक 25 फरवरी, 2019 को प्रात: 10:00 बजे से प्रारंभ होकर बुधवार, दिनांक 27 फरवरी, 2019 को सांय 5:00 बजे समाप्त होगी. इस समयाविध के दौरान गुरुवार, दिनांक 21 फरवरी, 2019 की कट ऑफ तारीख को बैंक के शेयरधारक, जिनके शेयर भौतिक अथवा डीमेट रूप में हो, वे अपने वोट इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से दे सकते हैं. इसके पश्चात सीडीएसएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा.
- (ii) शेयरधारक ई-वोटिंग वेबसाइट <u>www.evotingindia.com</u> पर लॉग-ऑन करें.
- (iii) शेयरहोल्डर्स/ सदस्यों पर क्लिक करें.
- (iv) अब, अपना यूजर आईडी प्रविष्ट कीजिए
  - ए. सीडीएसएल के लिए : 16 अंकीय बेनीफीशियरी आईडी.
  - बी. एनएसडीएल के लिए : 8 अंकीय क्लाइंट आईडी के पश्चात 8 शब्दों का डीपी आईडी.
  - सी. जिन सदस्यों के पास भौतिक रूप में शेयर्स हैं, बैंक के पास पंजीकृत फोलियो नम्बर प्रविष्ट करें.
- (v) अब प्रदर्शित हो रहे इमेज वेरीिफकेशन को प्रविष्ट कीिजए और लॉग-इन पर क्लिक करें.
- (vi) यिद आपके शेयर्स डीमेट स्वरूप में हैं और आपने <u>www.evotingindia.com</u> को लॉग-ऑन किया था और आपने किसी कंपनी/संस्था में पहले मतदान के लिए मत डाला है तो आपके वर्तमान पासवर्ड का उपयोग किया जाएगा.
- (vii) यदि आप पहली बार ऐसा कर रहे हैं तो निम्नानुसार बिन्दुओं को अपनाएं :

	डीमेट और भौतिक रूप में शेयरधारक सदस्यों के लिए
पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी (डीमेट शेयरधारकों और भौतिक रूप से शेयर्स धारकों, दोनों
	पर लागू) अपना 10 अंकीय अल्फा-न्यूमरिक पैन प्रविष्ट करें.
	जिन सदस्यों ने कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास अपने पैन को अद्यतन नहीं किया
	है, उनसे अनुरोध है कि समुचित संख्या जो ईजीएम नोटिस के ऊपर पते के स्टीकर पर
	लिखा है, पैन के स्थान पर संकेतिक है, का उपयोग करें.

#### 7. EXERCISE OF RIGHTS OF JOINT HOLDERS

As per Regulation 10 of the Regulations, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Hence if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the meeting and is only eligible to vote (by poll or by show of hands) in the meeting.

- 8. Shareholders are requested to bring their copies of the Notice to the Meeting.
- 9. Voting through electronic means
- In compliance with Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and compliance to the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 or amendments made thereto, your Bank is pleased to offer remote e-voting facility as an alternative mode of voting which will enable the Members to cast their votes electronically. Necessary arrangements have been made by the Bank with Central Depository Services (India) Limited (CDSL) to facilitate remote e-voting.

The process and instructions for remote e-voting are as under:

- (i) The remote e-voting period begins on Monday, 25<sup>th</sup> February, 2019 at 10.00 AM and ends on Wednesday, 27<sup>th</sup> February, 2019 at 05.00 PM. During this period, shareholders of the Bank holding shares either in physical form or in dematerialized form as on the cut-off date i.e. Thursday, 21<sup>st</sup> February, 2019, may cast their votes electronically. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.
- (ii) The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com.
- (iii) Click on Shareholders/Members.
- (iv) Now Enter your User ID
  - a. For CDSL: 16 digits beneficiary ID,
  - b. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,
  - c. Members holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Bank.
- (v) Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.
- (vi) If you are holding shares in demat form and had logged on to <a href="www.evotingindia.com">www.evotingindia.com</a> and voted on an earlier voting of any company/entity, then your existing password is to be used.
- (vii) If you are a first time user follow the steps given below:

	For Members holding shares in Demat Form and Physical Form
PAN	Enter your 10 digit alpha-numeric PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders)
	Members who have not updated their PAN with the Company/Depository Participant are requested to use the sequence number which is printed on Address Sticker pasted on the EGM Notice, indicated in the PAN field.

डिविडेंड बैंक विवरण
अथवा
जन्मतिथि
(डीओबी)

लॉग-इन करने के लिए आपके डीमेट खाते अथवा कंपनी अभिलेख में दर्ज डिविडेंड बैंक विवरण अथवा जन्म तिथि (दिदि/मामा/वव के प्रारूप में) प्रविष्ट करें.

यदि दोनों ही विवरण डिपॉजिटरी अथवा बैंक में अभिलेखित नहीं है तो कृपया अनुदेश नंबर (iv) के अनुसार डिविडेंड बैंक विवरण की फील्ड में सदस्य का आई-डी / फोलियो नंबर प्रविष्ट करें.

- (viii) इन विवरणों को समुचित रूप से प्रविष्ट करने के उपरांत, "सबमिट" टेब पर क्लिक करें.
- (ix) भौतिक रूप में शेयर्स के धारक अब सीधे बैंक सिलेक्शन स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे. परंतु, डीमेट रूप में शेयरधारक अब 'पासवर्ड क्रियेशन' मेनू में पहुंच जाएंगे, जहां उनसे यह अनिवार्यत: अपेक्षित होगा िक वे अपना लॉग-इन पासवर्ड, नई पासवर्ड फील्ड में प्रविष्ट करें. कृपया नोट करें कि इस पासवर्ड का उपयोग, डीमेट धारकों द्वारा किसी अन्य कंपनी/संस्था के प्रस्तावों के मतदान हेतु भी किया जाएगा, जिसके लिए वे मत देने हेतु पात्र हैं, बशर्ते कि कंपनी/संस्था के पास सीडीएसएल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ई-वोटिंग के लिए विकल्प उपलब्ध हो. इसकी दृढ़तापूर्वक संस्तुति की जाती है कि आप अपना पासवर्ड, किसी अन्य को न बताएं और अपने पासवर्ड को पूरी तरह से गोपनीय रखें.
- (x) भौतिक रूप में शेयरधारक सदस्यों के लिए इस नोटिस में निहित संकल्पों पर रिमोट ई-वोटिंग के संबंध में ही विवरण का उपयोग किया जा सकता है.
- (xi) जिसे वोट देना चाहें, पर सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ईएसवीएन पर क्लिक करें.
- (xii) वोटिंग के पृष्ठ पर आपको "संकल्प विवरण" दिखाई देगा जिसके सामने वोटिंग का विकल्प हां/ नहीं दिया होगा. अपनी इच्छानुसार "हां" अथवा "नहीं" का चयन करें. विकल्प "हां" का तात्पर्य संकल्प के प्रति आपकी सहमति एवं विकल्प "नहीं" का तात्पर्य संकल्प के प्रति आपकी असहमति है.
- (xiii) यदि आप संकल्प का पूर्ण विवरण देखना चाहें तो "रिजोल्यूशन फाइल लिंक" पर क्लिक करें.
- (xiv) संकल्प का चयन करने के पश्चात आपने उस पर वोट देने का निर्णय लिया है. "सिब्मिट" पर क्लिक करें. एक "पुष्टिकरण बॉक्स" प्रदर्शित होगा. यिद आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं तो "ओके" पर क्लिक करें अन्यथा वोट परिवर्तित करने के लिए "केन्सिल" पर क्लिक कर अपना वोट तदनुसार संशोधित करें.
- (xv) संकल्प पर अपने वोट की एक बार "पुष्टि" कर देने पर आपको अपना वोट संशोधित करने की अनुमित नहीं होगी.
- (xvi) वोटिंग पृष्ठ पर "क्लिक हियर टू प्रिंट" विकल्प पर क्लिक कर आपके द्वारा की गई अपनी वोटिंग का प्रिंट भी ले सकते हैं.
- (xvii) यदि डीमेट खाताधारक अपना परिवर्तित लॉगिन पासवर्ड भूल जाएं तब यूजर आई डी एंटर करें तथा इमेज वेरीफिकेशन कोड एंटर कर "फॉरगॉट पासवर्ड" पर क्लिक करें तथा सिस्टम द्वारा प्राप्त किए अनुसार विवरण भरें.
- (xviii) शेयर धारक एंड्रोयड आधार मोबाइलों पर उपलब्ध सीडीएसएल मोबाइल एप्प एम-वोटिंग उपयोग कर अपना वोट दे सकते हैं. यह एम-वोटिंग एप्प गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं. एप्पल एवं विंडोज फोन के उपयोगकर्ता क्रमश: एप्प स्टोर एवं विंडोज फोन स्टोर से यह एप्प डाउनलोड कर सकते है. कृपया अपने मोबाइल से वोटिंग करते समय मोबाइल एप्प द्वारा दिए जा रहें निर्देशों का अनुपालन करें.

## (xix) गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों एवं अभिरक्षकों के लिए नोट

- गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों (अर्थात व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई इत्यादि के अलावा) एवं अभिरक्षकों को www.evotingindia.com पर लॉग ऑन कर अपने आपको को कॉर्पोरेट के रूप में पंजीकृत करना होगा.
- संस्था के हस्ताक्षर एवं मोहर वाले पंजीकरण फॉर्म की स्कैन्ड प्रति <u>helpdesk.evoting @cdslindia.com</u> को मेल की जानी चाहिए.

Dividend	Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded
Bank Details	in your demat account or in the Bank records in order to login.
OR Date of	If both the details are not recorded with the depository or Bank, please enter
Birth (DOB)	the member id / folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in
	instruction (iv).

- (viii) After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.
- (ix) Members holding shares in physical form will then directly reach the Bank selection screen. However, members holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company/ entity on which they are eligible to vote, provided that company/entity opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
- (x) For Members holding shares in physical form, the details can be used only for remote e-voting on the resolutions contained in this Notice.
- (xi) Click on the EVSN of CENTRAL BANK OF INDIA on which you choose to vote.
- (xii) On the voting page, you will see "RESOLUTION DESCRIPTION" and against the same the option "YES/NO" for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.
- (xiii) Click on the "RESOLUTIONS FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.
- (xiv) After selecting the resolution you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.
- (xv) Once you "CONFIRM" your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.
- (xvi) You can also take out print of the voting done by you by clicking on "Click here to print" option on the Voting page.
- (xvii) If Demat account holder has forgotten the changed login password then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.
- (xviii) Shareholders can also cast their vote using CDSL's mobile app m-Voting available for android based mobiles. The m-Voting app can be downloaded from Google Play Store. Apple and Windows phone users can download the app from the App Store and the Windows Phone Store respectively. Please follow the instructions as prompted by the mobile app while voting on your mobile.

#### (xix) Note for Non – Individual Shareholders and Custodians

- Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodian are required to log on to <u>www.evotingindia.com</u> and register themselves as Corporates.
- A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and signature of the entity should be emailed to <a href="mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com">helpdesk.evoting@cdslindia.com</a>.

- लॉग-इन विवरण प्राप्त होने के उपरांत एडिमन लॉग-इन एवं पासवर्ड के प्रयोग से एक कम्प्लाइंस यूजर निर्मित किया जाना चाहिए. कम्प्लाइंस यूजर खाता(तों) को लिंक करने में सक्षम होगा, जिस पर वे वोट करना चाहते हैं.
- खातों की सूची <u>helpdesk.evoting@cdslindia.com</u> को मेल करनी चाहिए एवं खातों के अनुमोदन के प्रशात वे अपना वोट कर सकते हैं.
- बोर्ड प्रस्तावों एवं मुख्तारनामा (पीओए), यदि कोई हो, जिन्हें उन्होंने अभिरक्षक के पक्ष में जारी किया है, कि स्कैन्ड प्रति सिस्टम में पीडीएफ प्रारूप में अपलोड करना चाहिए.
- (xx) ई- वोटिंग के संबंध में यदि आप कोई स्पष्टीकरण अथवा पूछताछ करना चाहें, तो आप <a href="https://www.evotingindia.co.in">https://www.evotingindia.co.in</a> के हेल्प सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध बारम्बार पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) एवं ई- वोटिंग मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं अथवा <a href="https://www.evoting@cdslindia.com">https://www.evotingindia.co.in</a> के हेल्प सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध बारम्बार पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) एवं ई- वोटिंग मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं अथवा <a href="https://www.evoting@cdslindia.com">https://www.evotingindia.co.in</a> के हेल्प सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध बारम्बार पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) एवं ई- वोटिंग मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं अथवा <a href="https://www.evoting@cdslindia.com">https://www.evoting@cdslindia.com</a> पर ई- मेल कर सकते हैं:
- शेयरधारकों के मतदान का अधिकार, गुरुवार दिनांक 21 फरवरी, 2019 को बैंक की नियत कट ऑफ तारीख को चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात के अनुसार होगा. तथापि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2ई) के प्रावधानों की शर्तों के अनुसार, केन्द्र सरकार के अतिरिक्त, बैंक का कोई भी शेयरधारक, बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकारों के दस प्रतिशत से अधिक की स्थिति में उसके द्वारा धारित किन्हीं भी शेयरों के संबंध में मतदान अधिकार का प्रयोग करने हेतु पात्र नहीं होगा.
- III. डिपॉजिटरियों द्वारा रखे जा रहे सदस्यों के रजिस्टर अथवा लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में कट ऑफ तारीख अर्थात गुरुवार दिनांक 21 फरवरी, 2019 को जिस व्यक्ति का नाम दर्ज है सिर्फ वही व्यक्ति ईजीएम में रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग/ मतदान के लिए पात्र होगा.
- IV. ऐसा कोई व्यक्ति जो बैठक का नोटिस प्रेषित कर दिए जाने के पश्चात बैंक का सदस्य बनता है और कट ऑफ तारीख अर्थात दिनांक 21 फरवरी, 2019 को शेयर धारित करता है, वह उपर्युक्त निर्दिष्ट प्रक्रिया द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुकरण करना चाहिए.
- V. इस सूचना की एक प्रति सीडीएसएल ई-वोटिंग की वेबसाइट एवं बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित की गई है.
- VI. ई-वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न करने हेतु ईजेडवाय लॉज़ के श्री अंकुर कुमार, अधिवक्ता एवं कॉर्पोरेट विधिक सलाहकार को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है.
- VII. ई-वोटिंग अवधि की समाप्ति से तीन (3) कार्यदिवसों के भीतर, मतपत्रक-निरीक्षक कम से कम दो (2) साक्षियों, जो बैंक के रोजगार में न हों, की उपस्थिति में वोटों को अनब्लॉक करेगा एवं पक्ष तथा विपक्ष में दिए गए वोटों, यदि कोई हो, की जांच - रिपोर्ट तत्काल अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा.
- VIII. बैंक के ईजीएम में प्रस्ताव पारित होने के दो (2) दिनों के भीतर, मतपत्रक-निरीक्षक की रिपोर्ट सहित घोषित परिणाम, बैंक की वेबसाइट <u>www.centralbankofindia.co.in</u> एवं सीडीएसएल ई-वोटिंग की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाएंगे एवं बीएसई लिमिटेड तथा नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को सूचित किए जाएंगे.

- After receiving the login details a compliance user should be created using the admin login and password. The Compliance user would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
- The list of accounts should be mailed to <u>helpdesk.evoting@cdslindia.com</u> and on approval
  of the accounts they would be able to cast their votes.
- A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued
  in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the
  scrutinizer to verify the same.
- (xx) In case you have any queries or issues regarding remote e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at <a href="www.evotingindia.com">www.evotingindia.com</a> under help section or write an email to <a href="helpdesk.evoting@cdslindia.com">helpdesk.evoting@cdslindia.com</a>.
- II. The voting rights of shareholders shall be in proportion to their shares in the paid up equity share capital of the Bank as on the cut-off date i.e. Thursday, 21st February, 2019. However, in terms of the provisions of Section 3(2E) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the Bank other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.
- III. A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date, i.e. Thursday, 21st February, 2019 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting and e-voting/poll at EGM.
- IV. Any person who becomes a member of the Bank after dispatch of the Notice of the Meeting and holding shares as on the cut-off date i.e. 21<sup>st</sup> February, 2019, should follow the same instructions mentioned herein above.
- V. A copy of this notice has been placed on the website of the Bank and on the website of CDSL e-voting.
- VI. Shri Ankur Kumar of EZY Laws, Advocates & Corporate Legal Advisors has been appointed as the Scrutinizer for conducting the remote e-voting process in a fair and transparent manner.
- VII. The Scrutinizer shall within a period not exceeding three (3) working days from the conclusion of the e-voting period unblock the votes in the presence of at least two (2) witnesses not in the employment of the Bank and make a Scrutinizer's Report of the votes cast in favour or against, if any, forthwith to the Chairman.
- VIII. The Results declared alongwith the Scrutinizer's Report shall be placed on the Bank's website <a href="https://www.centralbankofindia.co.in">www.centralbankofindia.co.in</a> and on the website of CDSL e-Voting within two (2) days of passing of the resolution at the EGM of the Bank and will be communicated to the BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited.

### व्याख्यात्मक विवरण

सेबी आईसीडीआर विनियमों के प्रावधानों के अनुरूप प्रस्तावित अधिमानी निर्गम के निम्नलिखित विवरणों को प्रकट किया जाना है.

## एजेंडा संख्या 1 - अधिमानी निर्गम :

## अधिमानी निर्गम का उद्देश्यः

बैंक ने प्रस्तावित किया है कि बैंक की इक्विटी पूंजी एवं कोर पूंजी (सीईटी 1) में और अधिक बढ़ाने के क्रम में अधिमानी आधार पर इक्विटी को जारी करने एवं आबंटित करने के द्वारा निधि बढ़ाई जाए. बासल III अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2018 को सीआरएआर 9.04% था, जिसमें टियर I सीईटी 7.01% एवं टियर II 2.03% था. बासल II के अनुसार दिनांक 31 मार्च 2018 को टियर I 5.50% के साथ सीआरएआर 9.46% एवं टियर II, 3.96% था. दिनांक 30 सितम्बर, 2018 को बासल III के अनुसार टियर I/ सीईटी 1, 6.71% के साथ सीआरएआर 8.71% एवं टियर II, 2.00% था. बासल II के अनुसार दिनांक 30 सितम्बर, 2018 के अनुसार टियर I, 5.09% के साथ सीआरएआर 9.35% एवं टियर II, 4.26% था. भारत सरकार द्वारा दिनांक 26 दिसम्बर, 2018 को जारी अधिसूचना द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिए रु. 1678.00 करोड़ (रुपये एक हजार छ: सौ अठहत्तर करोड़) हमारे बैंक हेतु स्वीकृत किया गया. वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक के इक्विटी शेयरों (विशेष प्रतिभूति / बॉन्ड्स) के अधिमानी आधार पर आबंटन में केंद्र सरकार के योगदान रूप में सरकार के निवेश की योजनानुरूप के अनुसार है. बैंक ने रु. 1678.00 करोड़ की उक्त पूंजी निधि भारत सरकार से दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 तक प्राप्त कर ली गई है और "सेन्ट्रल बैंक इंडिया शेयर अप्लीकेशन मनी एकाउंट" में रख दिया गया है.

भारत सरकार द्वारा इक्विटी के इस संपरिवर्तन से बैंक को भविष्य में जब कभी जरुरत पड़ने पर पब्लिक / वितीय संस्थाओं से राइट निर्गम / एफपीओ / अर्हता प्राप्त संस्थागत प्लेसमेंट (क्यूआईपी) के माध्यम से और अधिक इक्विटी पूंजी उगाहने में बैंक को अतिरिक्त लीवरेज प्राप्त होगा, जो सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा यथा आवश्यक अनुमोदन के अधीन होंगे.

ईक्विटी के इस अधिमानी आबंटन के माध्यम से जुटाई जाने वाली पूंजी बैंक द्वारा किसी भी प्रकार से इसकी किसी भी सहायक, संयुक्त उद्यम इत्यादि में निवेश के लिए उपयोग नहीं की जाएगी.

## II. निर्गम को अभिदान करने हेतु प्रवर्तकों/निदेशकों/ निर्गम के प्रमुख प्रबंधन व्यक्तियों का प्रस्ताव:

निम्नांकित खण्ड (V) में दिए अनुसार कोई भी निदेशक अथवा प्रवर्तक के अलावा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक अर्थात भारत सरकार इक्विटी शेयर्स में अभिदान करेगा.

## III. प्रस्तावित अधिमानी प्रस्ताव के पूर्व और उसके उपरांत शेयरधारिता ढांचा

क्र.	शेयरधारकों के नाम	शेयरों की संख्या	आबंटन	प्रस्तावित शेयरों	शेयरों की संख्या	पश्च आबंटित
सं.		के अनुसार पूर्व-	पूर्व चुकता	का आबंटन	के अनुसार	चुकता पूँजी
		आबंटन	पूँजी का %		पश्च-आबंटन	का %
1.	भारत के राष्ट्रपति	261,64,81,940	88.02	38,74,39,390	300,39,21,330	89.40
	(भारत सरकार),					
	प्रवर्तक					
2.	अन्य शेयरधारक	35,60,31,785	11.98	0	35,60,31,785	10.60
3.	कुल (122)	297,25,13,725	100.00	38,74,39,390	335,99,53,115	100.00

## IV. अधिमानी निर्गम पूर्ण किए जाने हेतु समय-सीमा :

शेयरधारकों द्वारा संकल्प पारित करने के 15 दिन के भीतर आबंटन पूर्ण किया जाएगा, बशर्ते किसी विनियामक प्राधिकारी से उक्त आबंटन का अनुमोदन लेने में लगा समय इसमें विस्तारित किया जाए, यदि कोई है.

#### **EXPLANATORY STATEMENT**

The following details of the proposed preferential issue are disclosed in accordance with the provisions of SEBI ICDR Regulations:

#### Agenda No. 1 - Preferential Issue :

#### I. Objects of the Preferential Issue

The Bank proposes to raise the funds by way of issue and allotment of equity shares on preferential basis in order to augment further Equity Capital and improve Core Capital (CET 1) of the Bank. As per BASEL III, CRAR as on 31st March 2018 was 9.04% with Tier I / CET1 at 7.01% and Tier II at 2.03%. As per BASEL II CRAR as on 31st March 2018 was 9.46% with Tier I at 5.50% and Tier II at 3.96%. As on 30th September 2018, CRAR as per BASEL III was 8.71% with CET1/Tier I at 6.71% and Tier II at 2.00%. As per BASEL II, CRAR as on 30th September 2018 was 9.35% with Tier I at 5.09% and Tier II at 4.26%. Government of India vide Notification 26th December, 2018 conveyed the sanction of President of India for release of Rs. 1,678/- crore (Rupees One Thousand Six Hundred and Seventy Eight Crore) to our Bank towards contribution of the Central Government in the preferential allotment of equity shares (Special Securities/Bonds) of the Bank during the financial year 2018-19, as Government's Investment. The Bank received said capital funds of Rs.1678.00 crore from Government of India on 31st December, 2018 and the same has been kept in "Central Bank of India Share Application Money Account".

This infusion of equity by Government of India would also give additional leverage to the Bank to raise further equity capital from the public/ financial institutions by way of Rights Issue / FPO/ Qualified Institutional Placement (QIP) at a later date as and when the need arises, subject to necessary approvals from statutory authorities, as may be required.

The capital to be raised through this preferential allotment of equity will not be used by the Bank for making investment, in whatever form, in any of its subsidiaries, joint ventures, etc.

#### II. Proposal of the Promoters / Directors / Key Management Persons of the issue to subscribe to the offer:

None of the Directors or Key Management persons other than Promoter i.e. Government of India as mentioned in Clause (V) below intends to subscribe to the equity shares.

#### III. Shareholding Pattern before and after the proposed Preferential Offer:

Sr. No.	Name of Shareholders	Pre-allotment in terms of No. of shares	% of pre- allotment Paid Up Capital	Proposed Allotment of Shares	Post allotment in terms of No. of Shares	% of Post- allotment Paid Up Capital
1.	President of India (Government of India), Promoter	261,64,81,940	88.02	38,74,39,390	300,39,21,330	89.40
2.	Other Shareholders	35,60,31,785	11.98	0	35,60,31,785	10.60
3.	Total (1+2)	297,25,13,725	100.00	38,74,39,390	335,99,53,115	100.00

#### IV. The timeline within which the preferential issue shall be completed:

The allotment shall be made within 15 days of the passing of the resolution by the shareholders, provided the time for allotment shall be extended by the time taken for obtaining approval for such allotment by any regulatory authority, if any.

## V. प्रस्तावित आबंटियों की पहचान तथा अधिमान निर्गम पश्चात उनके द्वारा रखी जाने वाली पूंजी का अनुपात तथा अधिमानी निर्गम के उपरांत निर्गमकर्ता के नियंत्रण में परिवर्तन, यदि कोई हो.

प्रस्तावित आबंटिती की पहचान	शेयरों की संख्या के अनुसार पूर्व- आबंटन	पूर्व चुकता पूँजी का %	अधिमानता आधार पर आबंटित किये जाने वाले इक्विटी शेयरों की संख्या	के अनुसार पश्च-आबंटन	पश्च- आबंटित चुकता पुँजी का %	पश्च- आबंटन वृद्धिगत %
भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार), प्रवर्तक	261,64,81,940	88.02	38,74,39,390	300,39,21,330	89.40	1.38

बैंक के वर्तमान प्रवर्तक अर्थात् भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) का बैंक पर नियंत्रण जारी रहेगा और प्रस्तावित अधिमानी आबंटन के परिणामस्वरूप बैंक के प्रबंधन/नियंत्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा.

## VI. प्रस्तावित अधिमानी निर्गम का मूल्य निर्धारण :

निर्गम एवं संपरिवर्तन मूल्य का निर्धारण सेबी आईसीडीआर विनियमन के अध्याय VII के अनुसार किया गया है.

परिणामी इक्विटी शेयरों का निर्गमित मूल्य निर्धारित करने की "संगत तारीख" दिनांक 29 जनवरी, 2019 है, यह तिथि, जो सदस्यों के आवश्यक बहुमत द्वारा इस संकल्प को पारित करने की तिथि अर्थात दिनांक 28 फरवरी, 2019 से 30 दिन पूर्व की तारीख है.

बैंक यह वचन देता है कि वह आवश्यकता पड़ने पर उन विनियमनों के प्रावधानों के अनुसार निर्दिष्ट प्रतिभूति के मूल्यों की पुन: गणना करेगा.

बैंक यह भी वचन देता है कि यदि मूल्य के पुन: निर्धारण के कारण देय राशि का भुगतान इन विनियमनों में निर्धारित समय-सीमा के भीतर नहीं किया जाता है, तो इक्विटी शेयर उस समय तक लॉक-इन रहेंगे, जब तक आबंटियों द्वारा ऐसी राशि का भुगतान नहीं कर दिया जाता है.

## VII. सांविधिक लेखापरीक्षकों से प्रमाणपत्र :

प्रस्तावित अधिमानी निर्गम पर विचार के लिए शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक में सांविधिक लेखा परीक्षकों के प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए जाएंगे, जिसमें यह प्रमाणित किया जाएगा कि यह निर्गम सेबी आईसीडीआर विनियमनों में अपेक्षित आवश्यकताओं के अनुरूप जारी किया जा रहा है. उक्त प्रमाणपत्र की एक प्रति निरीक्षण के लिए दिनांक 28 फरवरी, 2019 को आयोजित की जाने वाली असाधारण सामान्य बैठक में उपलब्ध कराई जाएगी.

## VIII.लॉक-इन अवधि :

भारतीय के राष्ट्रपित (भारत सरकार) को अधिमानी आधार पर जारी एवं आबंटित किए जाने के लिए प्रस्तावित इक्विटी शेयर्स, बैंक के वर्तमान इक्विटी शेयर्स के साथ सममात्रा में मानी जाय. सेबी (पूंजी का निर्गम एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2018 के विनियम 167(1) के आवंटन तक की तिथि से के अनुसार, ट्रेडिंग अनुमोदन किए जाने की तारीख से तीन वर्ष की अविध तक, यह आवंटन तक की तिथि से लॉक-इन रहेंगे.

बैंक के इक्विटी शेयर्स छब्बीस सप्ताह से भी पहले से सूचीबद्ध किए गए हैं एवं तदनुसार, सेबी आईसीडीआर विनियमन, 2018 के विनियम 164(3) एवं 167(5) के प्रावधान लागू नहीं हैं.

भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) द्वारा धारित सभी शेयर्स डीमेट स्वरूप में हैं और उन स्टॉक एक्सचेंजों, जिनमें बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध किए गए हैं, के सूचीकरण अनुबंध के साथ पठित सूचीबद्ध अधिनियम में निर्दिष्ट इक्विटी शेयरों की सतत लिस्टिंग की शर्तों का बैंक द्वारा अनुपालन किया जा रहा है.

# V. The identity of the Proposed Allottee and the percentage of post Preferential Issue capital that may be held by them and change in control, if any, in the issuer consequent to the preferential issue :

Identity of the Proposed Allottee	Pre-allotment in terms of No. of shares	Pre-			% of Post allotment Paid up Capital	Incremental % post allotment
President of India (Government of India), Promoter	261,64,81,940	88.02	38,74,39,390	300,39,21,330	89.40	1.38

The existing promoter of the Bank i.e. the President of India (Government of India) will continue to have control over the Bank and there will not be any change in the management/control on the Bank as a result of the proposed preferential allotment.

#### VI. Pricing of the proposed Preferential Issue:

The Issue Price has been determined in accordance with the Chapter V of the SEBI ICDR Regulations.

The "relevant date" for determining the Issue Price of the resultant equity shares is 29<sup>th</sup> January, 2019, being the date which is 30 days prior to the date for passing this resolution by requisite majority of members i.e. 28<sup>th</sup> February, 2019.

The Bank undertakes that it shall re-compute the price of the specified securities in terms of the provisions of these Regulations where it is required to do so.

The Bank also undertakes that if the amount payable on account of the re-computation of price is not paid within the time stipulated in these Regulations, the equity shares shall continue to be locked-in till the time such amount is paid by the allottee.

#### VII Certification from Statutory Auditors:

A Certificate from the Statutory Auditors shall be placed before the Extra-ordinary General Meeting of the Shareholders considering the proposed preferential issue, certifying that the issue is being made in accordance with the requirements of the SEBI ICDR Regulations. A copy of the said certificate will be made available for inspection at the Extra-ordinary General Meeting on 28th February, 2019.

#### VIII Lock-in period:

The equity shares proposed to be issued and allotted on preferential basis to President of India (Government of India) shall rank pari-passu with the existing equity shares of the Bank. The same shall be locked-in from the date of allotment till a period of three years from the date of trading approval granted for, as per regulation 167(1) of SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 as amended till date.

The equity shares of the Bank have been listed for more than twenty six weeks and accordingly, provisions of Regulation 164 (3) and 167(5) of SEBI ICDR Regulations, 2018 are not applicable.

All the shares held by President of India (Government of India) are in dematerialized mode and the Bank is in compliance with the conditions of continuous listing of equity shares as specified in the Listing Regulations read with Listing Agreement with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed.

दिनांक 08 सितम्बर, 2016 को अधिमानी आधार पर भारत सरकार को आबंटित 12,38,06,796 इक्विटी शेयर जो ट्रेडिंग अनुमोदन की तारीख से तीन वर्ष की अविध अर्थात 08 सितम्बर, 2019 तक लॉक-इन अविध में है तथा 18 अगस्त, 2017 को अधिमानी आधार पर भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) को आबंटित 96,01,536 इक्विटी शेयर जो ट्रेडिंग अनुमोदन की तारीख से तीन वर्ष की अविध अर्थात दिनांक 06 सितम्बर, 2020 तक लॉक-इन अविध में है, दिनांक 16 नवम्बर, 2017 को अधिमानी आधार पर भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) को आबंटित 5,59,76,956 इक्विटी शेयर जो ट्रेडिंग अनुमोदन की तारीख से तीन वर्ष की अविध अर्थात 29 नवम्बर, 2020 तक लॉक-इन अविध में है, दिनांक 27 मार्च, 2018 को अधिमानी आधार पर भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) को आबंटित 65,04,06,299 इक्विटी शेयर जो ट्रेडिंग अनुमोदन की तारीख से तीन वर्ष की अविध अर्थात 12 अप्रैल, 2021 तक लॉक-इन अविध में है एवं दिनांक 13 नवम्बर, 2018 को अधिमानी आधार पर भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) को आबंटित 35,43,57,970 इक्विटी शेयर जो ट्रेडिंग अनुमोदन की तारीख से तीन वर्ष की अविध अर्थात 29 नवम्बर, 2021 तक लॉक-इन अविध में है, को छोड़ कर भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) को अधिमानी पूर्व आबंटन शेयर धारिता संगत तारीख से प्रारम्भ होकर स्टॉक एक्सचेजों द्वारा अनुमोदित ट्रेडिंग तारीख से छ: माह की अविध तक के लिए लॉक-इन अविध में रहेंगे.

- IX. सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमन 2015 का विनियम 41, अन्य बातों के साथ साथ यह भी निर्दिष्ट करता है कि जब भी अतिरिक्त शेयर्स के आबंटन द्वारा बैंक की निर्गमित पूंजी बढ़ाना प्रस्तावित हो तब भी ऐसे शेयर्स की पेशकश सबसे पहले बैंक के विद्यमान शेयरधारकों को बैंक में उनकी शेयरधारिता के अनुपात में अभिदान हेतु की जाएगी, बशर्ते शेयरधारक सामान्य बैठक के माध्यम से अन्यथा निर्णय न लेते हों. चूंकि बैंक के विद्यमान शेयरधारक को समानुपात आधार के इतर अन्य विधि द्वारा पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर का आबंटन प्रस्तावित है अत: उपर्युक्त संकल्प पारित किया जाना आवश्यक है. साथ ही, सेबी आईसीडीआर विनियमन, 2018 के विनियम 160 के तहत ऐसा करना आवश्यक है.
- X. आपके निदेशकगण नोटिस में उल्लिखित विशेष संकल्प को आपके अनुमोदन की अनुशंसा करते हैं.
- XI. बैंक का कोई भी निदेशक अथवा प्रबंधन का मुख्य व्यक्ति बैंक में अपनी वैयक्तिक हैसियत अथवा भारत सरकार के नामिति के तौर पर अपनी शेयरधारिता की सीमा के सिवाय इस सूचना के संकल्प में सरोकार अथवा हित नहीं रखता है.

कार्यसूची क्रमांक 2 - बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों तथा कर्मचारियों को अंश जारी करना :

सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियमन, 2014 के विनियमन 6(2) की आवश्यकतानुसार बनाया गया व्याखात्मक विवरण और प्रकटीकरण.

बैंक के कर्मचारियों का बैंक के प्रति जुड़ाव को बढ़ाने एवं उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए, बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा कार्यपालक निदेशकों सिंहत अपने स्थायी कर्मचारियों (पात्र कर्मचारियों) को बैंक ने नये इक्विटी शेयर्स जारी करने का प्रस्ताव रखा है. यह प्रस्तावित निर्गम दीर्घाविध संसाधनों के लिए बढ़ रहे मांगों की पूर्ति भी करेगा एवं बासल III आवश्यकताओं के अनुसार बैंक के पूंजी पर्याप्ता को पूरा करेगा.

सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभों) विनियमों, 2014 (एसबीईबी विनियमों) के अनुपालन में, बैंक ने सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया – कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना ("सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया - ईएसपीएस 2019) के नाम से एक योजना तैयार किया है. यह योजना बोर्ड की कॉम्पेंसेटेशन समिति द्वारा संचालित की जाएगी एवं लागू नियमों के अनुपालन के अधीन होगी.

वर्ष 2018-19 के लिए कुल पूंजी उगाही योजना में से, बैंक के बोर्ड ने भारत सरकार / आरबीआई / सेबी / अन्य विनियामक एजेंसियों इत्यादि से आवश्यक / विनियामक अनुमोदनों के अधीन एक अथवा अधिक ट्रेंच में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया The entire pre-preferential allotment shareholding of President of India (Government of India) shall be locked-in for a period commencing from the Relevant Date to a period of six months from the date of trading approval as granted by the stock exchanges except 12,38,06,796 equity shares allotted to President of India (Government of India) on preferential basis on 8th September 2016 which are subject to lock-in for a period of three years from the date of Trading approval i.e. upto 20th September 2019, 96,01,536 equity shares allotted to President of India (Government of India) on preferential basis on 18th August 2017 which are subject to lock-in for a period of three years from the date of Trading approval i.e. upto 6th September 2020, 5,59,76,956 equity shares allotted to President of India (Government of India) on preferential basis on 16th November 2017 which are subject to lock-in for a period of three years from the date of Trading approval i.e. upto 29th November, 2020, 65,04,06,299 equity shares allotted to President of India (Government of India) on preferential basis on 27th March, 2018 which are subject to lock-in for a period of three years from the date of Trading approval i.e. upto 12th April, 2021 and 35,43,57,970 equity shares allotted to President of India (Government of India) on preferential basis on 13th November, 2018 which are subject to lock-in for a period of three years from the date of Trading approval i.e. upto 29th November, 2021.

- IX. Regulation 41 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 provides *inter-alia* that when it is proposed to increase the issued capital of the Bank by allotment of further shares, such shares, shall be first offered to the existing shareholders of the Bank for subscription in proportion to their shareholding in the Bank unless the shareholders decide otherwise in a general meeting. As it is proposed to allot fully paid up Equity Shares by the method other than pro rata to the existing shareholders of the Bank, the above resolution is required to be passed. Further, it is also required under Regulation 160 of the SEBI ICDR Regulations, 2018.
- X. Your Directors recommend the special resolution as set out in the notice, for your approval.
- XI. None of the Directors or Key Managerial Personnel of the Bank is concerned with or interested in the resolution of the notice except to the extent of their shareholding in the Bank in their individual capacity or as nominee of Government of India.

#### Agenda No.2 - Issue of Shares to Employees and Whole Time Directors of the Bank :

# Explanatory Statement and Disclosure as required to be made in terms Regulation 6(2) of SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014.

With a view to enhance sense of belongingness and to motivate the Bank's Employees, the Bank proposes to issue new equity shares to its permanent Employees including the Managing Director & Chief Executive Officer and Executive Directors of the Bank (Eligible Employees). The proposed issue will also measure up to meet the growing demands for long term resources and shore the Bank's capital adequacy in line with the BASEL III requirements.

In compliance with SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014 (SBEB Regulations), the Bank has formulated a Scheme namely Central Bank of India - Employees Stock Purchase Scheme ("Central Bank of India -ESPS 2019"). The Scheme will be administered by the Compensation Committee of the Board and shall be subject to compliance with the applicable laws.

Out of total capital raising plan for the year 2018-19, the Board of the Bank has decided to raise Equity Share Capital upto 10,00,00,000 (Ten Crore) equity shares with a face value of Rs.10/- each, at an appropriate premium,

कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना ("सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया - ईएसपीएस 2019") के माध्यम से, उचित प्रीमियम पर, प्रत्येक रु. 10/- के अंकित मूल्य के इक्विटी शेयर्स से 10,00,00,000 (दस करोड़) तक इक्विटी शेयर पूंजी उगाही करने का निर्णय किया है, यह इस प्रकार होगी जिससे कि भारत सरकार की धारिता 52.00% से कम नहीं हो.

इस निर्गम का उद्देश्य, दीर्घवधि संसाधनों की उगाही के अलावा है:

- बैंक के कर्मचारियों को, उनके द्वारा सृजित किए गए मूल्यों को साझा कर, बैंक के प्रति कर्मचारियों को आकर्षित करने,
   जोड़े रखने एवं पुरस्कृत करने एवं उन्हें बैंक के वृद्धि तथा लाभप्रदता में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करना.
- प्रोत्साहन एवं पुरस्कार अवसरों के साथ बैंक के कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना.
- बैंक को एक स्थायी वृद्धि दिलाना और बैंक के दीर्धाविध हित में कर्मचारियों के हितों को सम्मिलित कर शेयरधारिता मूल्यों को तैयार करना; एवं
- कर्मचारियों के बीच स्वामित्व एवं साझेदार की भावना को जगाना.
- पूंजी पर्याप्ता के स्तर तक पहूंचने के उद्देश्य के लिए इक्विटी पूंजी की उगाही करना एवं बैंक के सामान्य व्यावसायिक आवश्यकाओं के लिए निधि संग्रहित कराना.

इस योजना के अंतर्गत जारी किए जाने वाले प्रस्तावित नये इक्विटी शेयर्स, लाभांस के भुगतान, यदि कोई, बैंक द्वारा घोषणा की जाती है, को सम्मिलित कर सभी मामलों में बैंक के वर्तमान इक्विटी शेयर्स के समान होगी.

सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 डसेबी (एलओडीआर).के विनियम 41(4) एवं एसबीईबी विनियमन के विनियम 6 के अनुपालन में, बैंक ने पात्र कर्मचारियों को नये इक्विटी शेयर्स के जारीकरण एवं आबंटन के लिए विशेष संकल्प प्रस्तावित किया है.

सेबी परिपत्र संख्या सीआईआर/सीएफडी/पॉलिसी सेल/2/2015 दिनांक 16 जून 2015 के अनुसार, दिए जाने वाले अतिरिक्त प्रकटीकरण निम्नलिखित है:

## ए. इस योजना का संक्षिप्त विवरण:

लागू विधियों, नियमों, विनियमों एवं निर्देशों के अधीन सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया - ईएसपीएस 2019 के अंतर्गत सभी पात्र कर्मचारियों को बैंक के प्रत्येक रु.10/- के अंकित मूल्य के नये इक्विटी शेयर्स 10,00,00,000 (दस करोड़) तक बैंक द्वारा दिया जाना प्रस्तावित है, यह प्रस्ताव इस प्रकार निर्धारित किया गया है कि भारत सरकार की धारिता 52.00% से कम नहीं होता हो.

## बी. दिए जाने वाले कुल शेयरों की संख्या:

इस योजना के अंतर्गत पात्र कर्मचारियों को कुल 10,00,00,000 (दस करोड़) तक नये इक्विटी शेयर दिए जाने प्रस्तावित है.

- सी. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ईएसपीएस 2019 में लाभार्जन एवं सहभागिता हेतु कर्मचारियों के वर्ग की पहचान बैंक के प्रबन्ध निदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं कार्यपालक निदेशकों सहित बैंक के सभी स्थायी कर्मचारी
- डी . निहित अवधि एवं आवश्यता

लागू नहीं

ई. अधिकतम अवधि डसेबी विनियामावली 18(1) एवं 24(1) में दी गई शर्तों के आधीन .जिसमें ऑप्शंस / एस ए आर/ लाभ निहित होंगे

लागू नहीं

through Central Bank of India Employee Stock Purchase Scheme ("Central Bank of India – ESPS 2019") in one or more tranches subject to mandatory / regulatory approvals from the GoI / RBI / SEBI / Other regulatory agencies etc., in such a way that the Government of India holding does not fall below 52.00%.

The object of the issue, apart from raising of long term resources is:

- To enable the Bank to attract, retain and reward Employees for our Bank by sharing the value created by them and to motivate them to contribute to the growth and profitability of the Bank.
- To motivate the Employees of the Bank with incentives and reward opportunities;
- To achieve sustained growth of the Bank and the creation of shareholder value by aligning the interests of the Employees with the long-term interests of the Bank; and
- To create a sense of ownership and participation amongst the Employees.
- To raise equity capital to utilize for the purpose to shore up the capital adequacy and to fund the general business needs of the Bank.

The new equity shares proposed to be issued under the Scheme shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank including payment of dividend, if any, declared by the Bank.

In compliance with Regulation 41(4) of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 [SEBI (LODR)] and Regulation 6 of SBEB Regulations, the Bank is proposing the Special Resolution for issuance and allotment of new equity shares to Eligible Employees.

Pursuant to SEBI Circular No. CIR/CFD/Policy Cell/2/2015 dated 16th June 2015, additional disclosures as enumerated therein are as under:

#### A. BRIEF DESCRIPTION OF THE SCHEME:

The Bank proposes to offer upto 10,00,00,000 (Ten Crore) new equity shares of face value of Rs.10/- each of the Bank to all the Eligible Employees under Central Bank of India – ESPS 2019 subject to applicable laws, Rules, Regulations and Guidelines, to be decided at the time of making offer in such a way that the holding of Government of India does not reduce below 52.00%.

#### B. TOTAL NUMBER OF SHARES TO BE GRANTED:

Up to 10,00,00,000 (Ten crore) new equity shares in aggregate are proposed to be offered to the Eligible Employees under the Scheme

## C. IDENTIFICATION OF CLASSES OF EMPLOYEES ENTITLED TO PARTICIPATE AND BE BENEFICIARIES IN THE CENTRAL BANK OF INDIA – ESPS 2019 :

All permanent Employees of the Bank including the Managing Director & Chief Executive Officer and Executive Directors of the Bank.

#### D. REQUIREMENTS OF VESTING AND PERIOD OF VESTING:

Not Applicable

E. MAXIMUM PERIOD [SUBJECT TO REGULATIONS 18 (1) AND 24 (1) OF THE SEBI (SBEB) REGULATIONS, AS THE CASE MAY BE] WITHIN WHICH THE OPTIONS/SARs/ BENEFIT SHALL BE VESTED:

Not Applicable.

### एफ . प्रयोग मूल्य, एसएआर मूल्य, खरीदी मूल्य या कीमत निर्धारण का तरीका

पेशकश मूल्य / खरीदी मूल्य पेशकश के समय बोर्ड / निदेशकों की प्रतिपूरक कमेटी द्वारा तय किए जाएंगे. बैंक के पात्र कर्मचारियों को इस योजना के तहत अंश आबंटित किए किए जाएंगे एवं इनका मूल्य, बोर्ड / प्रतिपूरक कमेटी द्वारा तय किए गए पेशकश / खरीदी मूल्य की दिनांक के समय पिछले 2 सप्ताहों के दौरान एनएसई में दर्ज एक्विटी अंशों के साप्ताहिक आधार पर उच्च एवं निम्न मूल्य के औसत का 10% से 40% तक की छूट के साथ तय होगा.

### जी प्रयोग अवधि एवं प्रयोग की प्रक्रिया

बोर्ड/ निदेशकों की प्रतिपूरक कमेटी के निर्णय के आधार पर निर्गम जितनी अविध तक खुला रहेगा, वह अविध, प्रयोग अविध कहलाएगी. प्रयोग की प्रक्रिया के तहत, दूसरी बातों के साथ-साथ पात्र कर्मचारियों को पेशकश करना, उनके आवेदन तथा अभिदान राशि प्राप्त करना एवं योजना के अनुसार अंशों का आबंटन करना आदि, बिंदु शामिल होंगे.

## एच. प्रस्तावित ईएसपीएस हेतु कर्मचारियों की पात्रता निर्धारण हेतु मूल्यांकन प्रक्रिया

पेशकश की दिनांक के समय पात्र कर्मचारी लागू विनियामक आवश्यकताओं एवं दिशानिदेशों के आधीन भाग लेने हेतू पात्र होंगे.

आई. प्रति कर्मचारी एवं सकल रूप से एसएआर, अंशों, ऑप्शनों की अधिकतम संख्या, जैसा भी मामला हो, जारी करना

बैंक का सकल रूप से अधिकतम 10 करोड़ नए इक्विटी अंशों को जारी करने का प्रस्ताव है एवं प्रति कर्मचारी को प्रस्तावित इक्विटी अंश बैंक के पोस्ट इशू पेडअप कैपीटल से 1% से अधिक नहीं होगा.

- जे. योजनान्तर्गत प्रति कर्मचारी उपलब्ध कराए जाने वाले लाभों की अधिकतम प्रमात्रा
  - पात्र कर्मचारियों को योजनान्तर्गत निर्गमित/जारी किए जाने वाले इक्विटी शेयर, जैसा कि उपर्युक्त पैरा (1) में उल्लिखित है, कर्मचारियों को अन्य कोई लाभ उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित नहीं है.
- के. क्या योजना(ओं) का कार्यान्वयन/प्रशासन बैंक द्वारा सीधे अथवा ट्रस्ट के माध्यम से किया जाना है: प्रस्तावित योजना को बैंक द्वारा सीधे कार्यान्वित /प्रशासित किया जाएगा.
- एल. क्या योजना(ओं) में कंपनी दूवारा नए शेयरों का निर्गम अथवा ट्रस्ट दूवारा द्वितीयक अधिग्रहण निहित है, अथवा दौनों है:

योजनांतर्गत, बैंक द्ववारा पात्र कर्मचारियों को नवीन इक्विटी शेयर सीधे जारी/ निर्गमित किए जाएंगे.

एम. कंपनी दूवारा ट्रस्ट को योजना(ओं) के कार्यान्वयन के निमित उपलब्ध कराए जाने वाले ऋण की राशि, उसकी अवधि, उपयोग एवं चुकौती शर्तें आदि

प्रस्तावित योजनान्तर्गत, पात्र कर्मचारियों को नवीन इक्विटी शेयरों का सीधे निर्गमित किया जाना प्रस्तावित है और इसलिए ट्रस्ट का निर्मित किया जाना अथवा उसे ऋण प्रदान किया जाना प्रयोज्य नहीं है.

एन. द्वितीयक अधिग्रहण का अधिकतम प्रतिशत (सेबी विनियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट सीमाओं के अधीन) जो कि ट्रस्ट द्ववारा योजना(ओं) के उद्देश्यार्थ निर्धारित किया जा सकता है.
अप्रयोज्य

#### F. EXERCISE PRICE, SAR PRICE, PURCHASE PRICE OR PRICING FORMULA:

The Offer Price / Purchase Price will be determined by the Board / Compensation Committee of Directors at the time of the offer. The price of the Shares to be allotted under the Scheme to the Eligible Employees of the Bank shall be at a discount ranging between 10% to 40% on the average of the weekly high and low of the volume weighted average prices of the equity shares quoted on NSE during the two weeks preceding the date on which the Board/ Compensation Committee fixes Offer / Purchase Price.

#### G. EXERCISE PERIOD AND PROCESS OF EXERCISE:

The period during which the issue remains open as per decision of the Board / Compensation Committee shall be the Exercise Period. The process of exercise would, *inter-alia*, include offer made to the Eligible Employees, receipt of application and subscription amount and allotment of shares pursuant to the Scheme.

## H. THE APPRAISAL PROCESS FOR DETERMINING THE ELIGIBILITY OF EMPLOYEES FOR THE PROPOSED ESPS:

Eligible Employees as on the date of offering will be entitled to participate subject to the applicable regulatory requirements and guidelines.

## I. MAXIMUM NUMBER OF OPTIONS, SARs, SHARES, AS THE CASE MAY BE, TO BE ISSUED PER EMPLOYEE AND IN AGGREGATE :

The Bank proposes to issue maximum of 10,00,00,000 (Ten crore) new equity shares in aggregate and equity shares proposed to be issued per employee shall not exceed 1.00% of the post issue paid-up capital of the Bank.

#### J. MAXIMUM QUANTUM OF BENEFITS TO BE PROVIDED PER EMPLOYEE UNDER THE SCHEME:

Other than equity shares issued to the Eligible Employees under the Scheme as indicated in para (I) above, no other benefit is proposed to be provided to the Employees.

## K. WHETHER THE SCHEME (S) IS TO BE IMPLEMENTED AND ADMINISTERED DIRECTLY BY THE BANK OR THROUGH A TRUST:

The proposed Scheme will be implemented and administered directly by the Bank.

## L. WHETHER THE SCHEME (S) INVOLVES NEW ISSUE OF SHARES BY THE COMPANY OR SECONDARY ACQUISITION BY THE TRUST OR BOTH:

Under the proposed Scheme, the Bank will issue new equity shares directly to the Eligible Employees.

# M. THE AMOUNT OF LOAN TO BE PROVIDED FOR THE IMPLEMENTATION OF THE SCHEME (S) BY THE COMPANY TO THE TRUST, ITS TENURE, UTILIZATION, REPAYMENT TERMS, ETC.:

Under the proposed Scheme, the new equity shares of the Bank are proposed to be issued directly to the Eligible Employees and as such, the formation of the Trust or providing loan to the Trust is Not Applicable.

# N. MAXIMUM PERCENTAGE OF SECONDARY ACQUISITION (SUBJECT TO LIMITS SPECIFIED UNDER THE SEBI REGULATIONS) THAT CAN BE MADE BY THE TRUST FOR THE PURPOSES OF THE SCHEME (S):

Not Applicable.

## ओ. इस आशय की विवरणी/कथन कि सेबी(एसबीईबी) विनियमों के विनियम 15 के तहत उल्लिखित/ विनिर्दिष्ट लेखा पालिसियों की बैंक द्रवारा पुष्टि की जाएगी.

बैंक द्ववारा सेबी (एसबीईबी) विनियमों के विनियम 15 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखा नीतियों जैसा कि समय समय पर प्रयोज्य हो, पुष्टि की जाएगी.

# पी. वह प्रविधि जो कि बैंक द्ववारा अपने विकल्पों या एसएआरएस का मूल्यांकन करने के लिए प्रयोग में लाई जाएगी.

प्रस्तावित योजना के अंतर्गत बैंक द्ववारा नवीन इक्विटी शेयरों का निर्गमित किया जाना प्रस्तावित है, अतः विकल्पों अथवा एसएआर का मूल्यांकन प्रयोज्य नहीं है.

## क्यू. ये निम्नलिखित विवरण, यदि लागू हों:

यदि बैंक एक आकलित शेयर आधृत कर्मचारी प्रतिकर लागत का विकल्प चुनता है तथा कर्मचारी प्रतिकर लागत जो कि उचित मूल्य के प्रयुक्त किए जाने की स्थिति में स्वीकार की गई हो, निदेशकों की रिपोर्ट में खोली जाएगी एवं बैंक के लाभों तथा प्रति शेयर आय ("ईपीएस") पर इस अंतर का प्रभाव भी निदेशकों की रिपोर्ट में दिखाई जाएगी. प्रयोज्य होने पर बैंक द्ववारा उपर्युक्त अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाएगा.

## आर. अवरूद्धता अवधि

एसबीईबी विनियमों के अनुरूप, निर्गमन हेतु प्रस्तावित नवीन इक्विटी शेयर वर्तमान ईएसपीएस के अंतर्गत, जारी किए जाने की तिथि से न्यूनतम एक वर्ष हेतु अवरूद्धता अविध के अधीन रहेंगे.

प्रस्तावित विशेष संकल्प के लिए निदेशक मंडल द्ववारा अनुशंसा की जाती है.

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कार्यपालक निदशक एवं अन्य महत्वपूर्ण प्रबंधकीय व्यक्ति( केएमपी) उपर्युक्त संकल्प के प्रति सरोकार एवं रूचि रखते है क्योंकि यह उसके हितार्थ अभिप्रेत है, अन्य निदेशकों हेतु संकल्प प्रयोज्य अथवा अभिप्रेत नहीं है.

निदेशक मंडल के आदेश से कृते सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

हस्त /-

स्थान : मुंबई

दिनांक : 31.01.2019

(आनंद कुमार दास) सहायक महाप्रबंधक-एमबीडी/ कंपनी सचिव

## O. A STATEMENT TO THE EFFECT THAT THE BANK SHALL CONFORM TO THE ACCOUNTING POLICIES SPECIFIED IN REGULATION 15 OF SEBI (SBEB) REGULATIONS:

The Bank will conform to the accounting policies specified in Regulation 15 of SBEB Regulations, as applicable from time to time.

#### P. THE METHOD WHICH THE BANK SHALL USE TO VALUE ITS OPTIONS OR SARs:

Under the proposed Scheme, the Bank proposes to issue new equity shares and as such, the valuation of Options or SARs is Not Applicable.

#### Q. THE FOLLOWING STATEMENT, IF APPLICABLE:

In case the Bank opts for expensing of share based employee benefits using the intrinsic value, the difference between the employee compensation cost so computed and the employee compensation cost that shall have been recognized if it had used the fair value, shall be disclosed in the Directors' report and the impact of this difference on profits and on earnings per share ("EPS") of the Bank shall also be disclosed in the Directors' report.

The Bank will comply with the above requirements, if applicable

#### R. LOCK-IN PERIOD:

The new equity shares proposed to be issued under the present ESPS shall be locked-in for a minimum period of One year from the date of allotment as per SBEB Regulations.

The Board of Directors recommends the passing of the proposed Special Resolution.

The Managing Director & Chief Executive Officer, the Executive Directors and other Key Managerial Persons (KMPs) of the Bank are concerned or interested in the aforementioned Resolution as it is intended for their benefit. Other Directors are not concerned or interested in the Resolution.

BY ORDER OF THE BOARD OF DIRECTORS
FOR CENTRAL BANK OF INDIA

Sd/-

Place: Mumbai Date: 31.01.2019 (ANAND KUMAR DAS)
Assistant General Manager-MBD/
Company Secretary



## सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रधान कार्यालयः चन्दरमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400 021

## फॉर्म "बी "

## प्रॉक्सी फॉर्म

(शेयरधारक द्वारा भरा एवं हस्ताक्षरित किया जाए)

फोलियो सं. या डीपी आईडी/ग्राहक आईडी		
धारित शेयरों की संख्या		
मैं/हम		
•		
निवासी		
राज्य	-, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	के/की शेयरधारक की हैसियत र
श्री/स्श्री		
निवासीजिला		को अथवा उसकी अनुपस्थिति ।
श्री/स्श्री	,	
जिला	गान्ग	को ग्रस्तार दिगंड
28 फरवरी, 2019, प्रातः 11.00 बजे, चंदरमुखी	•	
माले पर सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों		ारण सामान्य बैठक में मेरे/हमारे लिए औ
मेरी/हमारी ओर से मत देने के लिए नियुक्त करता	:/करती हूं/करते हैं.	
-		
दिनांक माह	वर्ष 2019 को यह हस्ताक्षरित वि	केया गया.
		कृपया रेवेन्यू
		स्टैम्प
		चिपकाएं
~ <u>^ </u> <u>^ </u>		
प्रॉक्सी के हस्ताक्षर	प्रश्	थम/एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर
नाम		
(स्पष्ट अक्षरों में)		
पता		



## **CENTRAL BANK OF INDIA**

Head Office: Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai - 400021

### FORM 'B'

### **PROXY FORM**

(To be filled in and signed by the shareholder)

Client-Id			
resido	ent/s of		in the district o
in the district of		in the State of	a
e of the Bank situated at	Chandermukhi, N	,	
	Sign	Stamp nature of the first named/ s	cole Shareholder
ck Letters)			
	in the State of ereby appoint Shri/Smt or failing him/h in the district of for me/us and on my/our RAL BANK OF INDIA to be e of the Bank situated at	resident/s ofin the State of ereby appoint Shri/Smtor failing him/her, Shri/Smtin the district of for me/us and on my/our behalf at the EX RAL BANK OF INDIA to be held on Thurs e of the Bank situated at Chandermukhi, If day of 2019.  Sign	resident/s of

## प्रॉक्सी फॉर्म को हस्ताक्षरित एवं प्रस्तुत करने हेतु अनुदेश

- 1. प्रॉक्सी का कोई भी प्रपत्र तब तक वैध नहीं होगा, जब तक कि;
  - (ए) वैयक्तिक शेयरधारक की स्थिति में, यह उसके स्वयं के या उसके द्वारा लिखित में विधिवत प्राधिकृत किए गए अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो.
  - (बी) संयुक्त धारकों की स्थिति में, यह रजिस्टर पर लिखे हुए प्रथम नाम वाले शेयरधारक द्वारा स्वयं या लिखित में विधिवत प्राधिकृत अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो.
  - (सी) कॉर्पोरेट निकाय की स्थिति में, यह उसके अधिकारी या लिखित में विधिवत प्राधिकृत अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो.
- 2. ऐसे शेयरधारक जो किसी भी कारण से अपना नाम लिखने में असमर्थ हों, उनके प्रॉक्सी फार्म पर्याप्त रूप से हस्ताक्षरित माने जाएंगे, यदि उन प्रपत्रों पर उनके अंगूठे की छाप लगी हो एवं जिसे न्यायाधीश, मैजिस्ट्रेट, अश्योरेंस के रिजस्ट्रार या सब-रिजस्ट्रार या सरकारी राजपित्रत अधिकारी या सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी द्वारा साक्ष्यांकित किया गया हो.
- 3. कोई भी प्रॉक्सी तब तक वैध नहीं मानी जाएगी जब तक िक वह विधिवत स्टैम्पित नहीं है और उसे बैंक के चन्दरमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400021 स्थित प्रधान कार्यालय में बैठक की तय तारीख से कम से कम 4 दिन पूर्व अर्थात शुक्रवार, दिनांक 22 फरवरी, 2019 को सायं 5:00 बजे या इसके पूर्व जमा िकया जाना चाहिए, क्योंिक इसके पश्चात का कार्यदिवस शनिवार, दिनांक 23 फरवरी, 2019 बैंक अवकाश का दिवस है और ईजीएम से 4 दिन पूर्व की तिथि है, मुख्तारनामा (पॉवर ऑफ अटार्नी) या अन्य प्राधिकार, (यदि कोई है), जिसके अंतर्गत यह हस्ताक्षरित की गई हो या नोटरी पब्लिक या मैजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित मुख्तारनामा (पॉवर ऑफ अटार्नी) या प्राधिकार की प्रति के साथ प्रस्तुत किया जाए.
- 4. बैंक में जमा किया गया प्रॉक्सी का प्रपत्र अपरिवर्तनीय तथा अंतिम होगा.
- 5. प्रॉक्सी का प्रपत्र यदि विकल्प के साथ दो लोगों के पक्ष में दिया गया है तो केवल एक ही प्रपत्र निष्पादित किया जाएगा.
- 6. जिस शेयरधारक ने प्रॉक्सी का लिखत निष्पादित कर दिया हो, वह उस बैठक में स्वयं मतदान हेतु पात्र नहीं होगा, जिसके लिए लिखत निष्पादित किया गया हो.
- 7. बैंक के अधिकारी या कर्मचारी को विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता.
- 8. प्रॉक्सी फार्म की सभी कांट-छांटों पर निष्पादनकर्ता द्वारा अपने लघु हस्ताक्षर किए जाने चाहिए.
- 9. प्रॉक्सी का प्रपत्र "फार्म बी" में न होने पर वैध नहीं माना जाएगा.

#### INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

- 1. No instrument of proxy shall be valid unless:
  - a) in the case of an individual shareholder, it is signed by him or by his/her attorney duly authorised in writing.
  - b) In case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the Register of Members or by his/her attorney, duly authorised in writing.
  - c) In the case of a body corporate, it is signed by its officer or an attorney duly authorised in writing.
- An instrument of Proxy shall be sufficiently signed by any shareholder who is for any reason, unable to
  write his/her name, if his/her thumb impression is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate,
  Registrar or Sub-Registrar of Assurance or other Government Gazetted Officer or an officer of Central
  Bank of India.
- 3. No Proxy shall be valid unless it is duly stamped and is deposited at the Head Office of the Bank situated at Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai, 400021 not less than four days before the date fixed for the meeting i.e. on or before 5.00 PM on Friday, 22<sup>nd</sup> February, 2019 being the immediate preceding working day to Saturday, 23<sup>rd</sup> February, 2019 which is Bank holiday and is 4 days prior to the EGM, together with the Power of Attorney or other Authority (if any) under which it is signed or a copy of that Power of Attorney or other Authority Certified as True Copy by a Notary Public or a Magistrate unless such a Power of Attorney or any other Authority is previously deposited and registered with the Bank.
- 4. An instrument of Proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
- 5. In the case of an instrument of Proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- 6. The shareholder who has executed an instrument of Proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.
- 7. No person shall be appointed a duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of the Bank.
- 8. All alterations in the Proxy Form should be duly initialed by the executant.
- 9. No instrument of Proxy shall be valid unless it is in 'Form B'.



## सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

प्रधान कार्यालयः चन्दरमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400 021

## उपस्थिति पर्ची

असाधारण सामान्य बैठक - गुरुवार, दिनांक 28 फरवरी, 2019, प्रात: 11:00 बजे

पंजीकृत पन्ना/डीपी आईडी एवं ग्राहक	
आईडी/ शेयरों की संख्या	
सदस्य का नाम एवं पता (स्पष्ट अक्षरों में )	
संयुक्त धारक	
उपस्थित प्रॉक्सीधारक/ प्रतिनिधि का नाम	
(स्पष्ट अक्षरों में ) (यदि कोई हो)	

सदस्य/प्रॉक्सी/उपस्थित प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

दिन और दिनांक	गुरुवार, दिनांक 28 फरवरी, 2019	
स्थान	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, प्रधान कार्यालय, 9वां माला, चंदरमुखी, नरीमन पॉइन्ट	
	मुम्बई - 400 021	



## सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

प्रधान कार्यालयः चन्दरमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400 021

## प्रवेश पत्र

(बैठक के दौरान पूरे समय अपने पास रखें)

असाधारण सामान्य बैठक - गुरुवार, दिनांक 28 फरवरी, 2019, प्रात: 11:00 बजे

स्थान : सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, प्रधान कार्यालय, 9वां माला, चंदरमुखी, नरीमन पॉइन्ट मुम्बई - 400 021

पंजीकृत फोलियो/डीपीआईडी एवं ग्राहक आईडी/	
शेयर्स की संख्या	
सदस्य का नाम	
शेयर्स की संख्या	

उपस्थित सदस्य/प्रॉक्सी/उपस्थित प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम एवं हस्ताक्षर वैंक की मुहर एवं हस्ताक्षर

शेयरधारकों/प्रॉक्सी धारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे मीटिंग हाल में प्रवेश करने के लिए इस उपस्थिति सह-प्रवेश पत्र पास पर विधिवत हस्ताक्षर कर इसे प्रस्तुत करें. प्रवेश पत्र का हिस्सा शेयरधारकों/प्रॉक्सी धारकों/प्रतिनिधियों को वापस किया जाएगा, जो मीटिंग के समापन तक इसे अपने पास रखेंगे. तदापि आवश्यक समझे जाने वाले सत्यापन/जांच के आधार पर ही प्रवेश अनुमत होगा. किसी भी परिस्थिति में मीटिंग हाल में प्रवेश हेतु डुप्लीकेट उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा.

### **CENTRAL BANK OF INDIA**

Head Office: Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai - 400021

### **ATTENDANCE SLIP**

Extra-ordinary General Meeting - Thursday, 28th February, 2019 at 11.00 AM

Regd. Folio/DPII	D & Client ID/No. of Shares	
Name and ac	Idress of the Member	
Joint Holders		
Name of the Proxy-holder/Representative Present in Block Letters (if any)		
		Signature of the Member/Proxy/ Representative Present
Day and Date	Thursday, 28 <sup>th</sup> February, 2	9
Place		Office, 9 <sup>th</sup> Floor, Chandermukhi,
	Nariman Point, Mumbai- 4	021
	Head Office : Chande	सेन्ट्रल वैंक ऑफ़ इंडिया Central Bank of India । Reg "कंब्रिन" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911 IL BANK OF INDIA nukhi, Nariman Point, Mumbai - 400021 INTRY PASS ed throughout the meeting)
Extra	a-ordinary General Meeti	– Thursday, 28 <sup>th</sup> February, 2019 at 11.00 AM.
Place: Central B	ank of India, Head Office,	n Floor, Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai – 400 021
Regd. Folio/DPI	D & Client ID/No. of Shares	
Name of Member		
No. of Shares		
	ure of attending Member/	Bank Stamp and Signature
Proxy/Authorised	l Representative Present	

Shareholders/Proxy holders/Authorised Representatives are requested to produce this Attendance-slip-cum-Entry pass duly signed, for admission to the venue. The Entry pass portion will be handed back to the shareholders/Proxy holders/ Authorised Representatives, who should retain it till the conclusion of the meeting. The admission will, however, be subject to verification/checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, any duplicate Attendance slip-cum-Entry pass will be issued at the entrance to the meeting hall.

## रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेन्ट :

### लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लिमिटेड

(इकाई - सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया)

सी-101, 247 पार्क

एल.बी.एस.मार्ग, विक्रोली (पश्चिम)

मुंबई, 400 083

फोन : (022) 4918 6000

फैक्स : (022) 49186060

ई मेल : rnt.helpdesk@linkintime.co.in

### **Registrar and Share Transfer Agent:**

#### **Link Intime India Private Limited**

(Unit-CENTRAL BANK OF INDIA)

C 101, 247 Park,

L B S Marg, Vikhroli (West),

Mumbai 400 083

Phone No: (022) 4918 6000

Fax: (022) 49186060

E-mail: rnt.helpdesk@linkintime.co.in



## सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

प्रधान कार्यालयः चन्दरमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021.फोनः 022 - 6638 7818

### **CENTRAL BANK OF INDIA**

Head Office: Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai - 400 021. Tel.: 022-6638 7818